कार्यालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म.प्र.)

क्रमांक / 54 /ज्ञाप / स्थापना / 2015 /   आगर मालवा, दिनांक 30 / 01 / 2015

–:: विज्ञप्ति ::–

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ–02–10 / 2012 / सात / 4ए भोपाल दिनॉक 4 मार्च 2014 एवं परिपत्र क्र. एफ 02–10 / 2012 / सात / 4ए दिनॉक 11 सितम्बर 2014 के अनुपालन में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारन्टी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा आधार पर रू. 10,000 / –(रूपये दस हजार) प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अंतिम तिथि 15.02.2015 तक आमन्त्रित किये जाते है । नियत तिथि पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

पद का नाम	क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	कुल
कार्यालय सहायक सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1.	अनुसूचित जाति	01	–	01
	2.	अनुसूचित जन जाति	–	–	–
	3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	01
	4.	अनारक्षित	03	02	05
	योग		05	02	07

(क) कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (लोक सेवा) हेतु :

1. **शैक्षणिक योग्यता–** (क) यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान समूह में स्नातक उपाधि । (ख) कम्प्युटर संचालन में दक्षता एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन कम्प्युटर उपाधि ।
2. **आयु** :– 01.01.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, (शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट) सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
3. **आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि** :– 15.02.2015 है । उपरोक्त पद मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये है । आवेदन के साथ निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है । 6. निर्धारीत प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेगे आवेदन पत्र अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा 7. आवेदक को चयन / साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर किसी प्रकार का मानदेय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 8. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप इस कार्यालय की वेबसाइट WWW.agarmalwa.nic.in से डाउनलोड़ किया जा सकता है ।
4. **चयन प्रकिया के चरण / आधार** – 1. विज्ञान स्नातक उम्मीदवार के आवेदनों का परीक्षण किया जावेगा । स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको की प्रावीणता (मेरिट) सूची के आधार पर अधिकतम 1:15 के अनुपात में आवेदकों को बुलाया जायेगा । 2. चयनित अभ्यार्थियों में कम्प्युटर ज्ञान एवं उपयोग की क्षमता एवं हिन्दी टाइपिंग की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जावेगी । जिसके लिये 30 अंक होंगे । 3. लिखित परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर अधिकतम 1:5 के अनुपात में अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा । साक्षात्कार के 15 अंक होगे । 4. साक्षात्कार कलेक्टर द्वारा गठित समिति के द्वारा लिया जायेगा । 5. साक्षात्कार में प्राप्त अधिकतम अंको के आधार पर अभ्यार्थियो का चयन किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी । बशर्ते उसे समग्र रूप से पद के लिए योग्य पाया जाए ।

कलेक्टर

जिला आगर–मालवा (म.प्र.)